आदेश पर
बारे में टिप्पणी

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण वाद सं0 02/2022–23

सरकार..आवेदक।

बनाम

दिनेश मंडल ....विपक्षी।

आदेश

11.10.2022

यह अधिहरण वाद पुलिस अधीक्षक, दुमका का ज्ञापांक–1530/अप0शा0 दिनांक–26.07.2022 के साथ अनुलग्नक अवर निरीक्षक नगर थाना दुमका का ज्ञापांक–D.R-1802/2022 दिनांक–02.07.2022 जो दुमका नगर थाना काण्ड सं0–242/2022 दिनांक–26.09.2021 से संबंधित है, के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

पुलिस अवर निरीक्षक नगर थाना दुमका सशस्त्र बल के साथ दिनांक–26.09.2021 को पुसारो पुल दुमका के पास एक टाटा मैजिक वैन सं0–JH-15V-7702 को रोकने का प्रयास किया। वाहन के रूकते ही चालक और उसके दो अन्य साथी भागने लगे। पुलिस बल की मदद से चालक और उसके एक साथी को खदेड़कर पकड़ा गया तथा एक अन्य साथी झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पकड़ा गया दोनो युवक का नाम 1.दिनेश मंडल (चालक) पे0–हरि मंडल 2. देवरसी कुमार (उपचालक) पिता– सीताराम मंडल दोनो सा0–मंझलाडीह थाना–सारंवा जिला–देवघर है। भागे साथी के बारे में बताया कि वे उन्हें नहीं जानते है।

टाटा मैजिक वाहन को तलाशी लेने पर पाया कि उसमें IMPERIAL BLUE शराब 375 ML की 21 पेटियॉ (प्रत्येक पेटी में 24 बोतल में FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH) तथा MC DOWELL'S LUXURY NO.-1 शराब 375 ML की 30 पेटियॉ (प्रत्येक पेटी में 24 बोतल तथा प्रत्येक बोतल में FOR

SALE IN ARUNACHAL PRADESH) पाया गया। इस संबंध में पकड़े गए यवकों से कागजात मॉगने पर कोई कागजात नहीं दिखाया गया। पुलिस अवर निरीक्षक नगर थाना दुमका द्वारा उक्त जप्त शराब को अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा भी उक्त जप्त शराब की अधिहरण करने हेतु अनुशंसा किया गया है। तदनुसार किये गयें अनुशंसा के आधार पर यह अधिहरण वाद की प्रारंभ की गई है।

अवर निरीक्षक नगर थाना, दुमका का प्रतिवेदन :–

अवर निरीक्षक नगर थाना, दुमका द्वारा पकड़ाये दोनो युवक 1. दिनेश मंडल, पे0 हरि मंडल 2. देवरसी कुमार पे0 सीताराम मंडल दोनो सा0–मंझलाडीह, थाना–सारंवा जिला–देवघर 3. वाहन मालिक गोपाल प्रसाद सिंह, पिता–युवेस प्रसाद सिंह QR No-2-563, Sector जिला–बोकारो 4. राकेश दास सा0–जोगबिन्धा थाना–सारंवा, जिला–देवघर एवं अज्ञात चार पॉच व्यक्ति षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजी शराब अधिक दाम पर बेचने के लिए धोखाधड़ी कर धनबाद से दुमका व अन्य जगहों पर परिवहन करते है, जो भा0द0वि0 की धारा– 420/272/120(B) भा0द0वि0 एवं 47a/52 (1)(D)/55 एक्साईज एक्ट के तहत संज्ञेय अपराध है।

इस संबंध मे नगर थाना काण्ड सं0–242/2021 दिनांक–26.09.2021 धारा–420/272/120(B) भा0द0वि0 एवं 47 (A)/52 (1)(D)/55 Excise Act के अन्तर्गत मामला दर्ज करते हुए जप्त वाहन रजिस्ट्रन नं0 JH15V-7702 के विरूद्ध अधिहरण की कार्रवाई करने हेतु सहायक अवर निरीक्षक, नगर थाना, दुमका द्वारा अनुरोध किया है।

पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा भी उक्त काण्ड में जप्त एक टाटा मैजिक वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नं0–JH15V-7702 एवं उक्त वाहन पर लदा कुल 1224 बोतल विदेशी शराब पर The JHARKHAND EXCISE AMENDMENT Act-1915 की धारा 66 के अन्तर्गत अधिहरण की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

तत्पश्चात् 1. दिनेश मंडल, पे0–हरि मंडल 2. देवरसी कुमार, पे0–सीताराम मंडल, दोनों सा0–मंझलाडीह, थाना–सारवॉ जिला–देवघर 3. वाहन मालिक गोपाल प्रसाद सिंह, पिता–युवेस प्रसाद सिंह QR NO.-2-563, Sector-2/C जिला–बोकारो 4. राकेश दास, सा0–जोगबिन्धा, थाना सारंवॉ, जिला देवघर को कारण–पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया कि क्यों नहीं उक्त जप्त वाहन रजिस्ट्रेशन नं0–JH-15V-7702 एवं उक्त वाहन पर

लदा कुल 1224 बोतल विदेशी शराब को अधिहरण किया जाय। नोटिस भेजे जाने के उपरांत विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का कारण–पृच्छा न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवेदन के साथ मैजिक वाहन के मालिक गोपाल प्रसाद सिंह, पिता–युवेस प्रसाद सिंह QR-No.2-563, Sector, जिला–बोकारो को नोटिस निर्गत करने के पश्चात् उनके द्वारा रजिस्ट्री डाक द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि उक्त वाहन से उन्हें कोई लेना–देना नहीं है। JH-15-V-7702 नम्बर से मोटर साईकिल है, जो कि यामहा कम्पनी की R15 है, जिसका उपायोग उनके द्वारा किया जाता है।

उत्पाद विभाग के पदाधिकारीगण सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुँचे तथा पकड़ाये शराब के बोतलों का अवलोकन कर बताये कि प्रथम दृष्टया बरामद शराब नकली प्रतीत होता है, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है तथा जिससे सरकारी राजस्व की भी क्षति होती है।

निष्कर्ष

इसी प्रकार उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जप्त मैजिक वाहन में अंकित नं0–JH-15V-7702 यामहा मोटर साईकिल की नम्बर है, किन्तु प्रतिवेदन के अनुसार जप्त वाहन सं0–JH-15V-7702 का मालिक का सत्यापन जिला परिवहन कार्यालय देवघर से किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन के मालिक विपक्षी गोपाल प्रसाद सिंह, पिता–युवेस प्रसाद सिंह QR NO.-2-563, Sector-2/C जिला–बोकरो है। साथ ही उत्पाद विभाग द्वारा उक्त शराब को प्रथम दृष्टया नकली पाया गया है। ऐसी स्थिति में जप्त शराब को उत्पाद विभाग द्वारा उचित मूल्य पर विक्रय किया जाना मानव शरीर के लिए हारिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त जप्त IMPERIAL BLUE शराब 375 ML की 21 पेटियॉ (प्रत्येक पेटी में 24 बोतल में FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH अंकित) तथा MC DOWELL'S LUXURY NO.-1 शराब 375 ML की 30 पेटियॉ (प्रत्येक पेटी में 24 बोतल तथा प्रत्येक बोतल में FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH अंकित) कुल–1224 बोतल विदेशी शराब को अगले आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु उत्पाद विभाग के पास सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

सहायक अवर निरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा किये गये प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जप्त टाटा मैजिक वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नं0–JH-15V-7702 को अवैध रूप से विदेशी शराब को अधिक दामों पर बेचने के लिए धोखाधड़ी कर धनबाद से दुमका एवं अन्य जगह पर परिवहन करते है, जो भा0द0वि0 की धारा–420 / 272 / 120 (B) एवं 479 / 52 (1)(D)55 एक्साईज एक्ट के तहत् संज्ञेय अपराध है। अधिहरण हेतु किया गया अनुशंसा के आधार पर अधिहरण करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि मैजिक वाहन सं0–JH-15V-7702 द्वारा अवैध रूप अंग्रेजी शराब अधिक दाम पर बेचने के लिए धोखाधड़ी कर धनबाद से दुमका व अन्य जगहों पर परिवहन करते है जो भा0द0वि0 की धारा–420 / 272 / 120 (B) एवं 479 / 52 (1)(D)55 एक्साईज एक्ट के तहत् संज्ञेय अपराध है। अतः जप्त मैजिक वाहन सं0–JH-15V-7702 को अधिहरण करने की आदेश दिया जाता है। साथ जप्त IMPERIAL BLUE शराब 375 ML की 21 पेटियॉ (प्रत्येक पेटी में 24 बोतल में FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH अंकित) तथा MC DOWELL'S LUXURY NO.-1 शराब 375 ML की 30 पेटियॉ (प्रत्येक पेटी में 24 बोतल तथा प्रत्येक बोतल में FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH अंकित) कुल 1224 बोलत शराब को अगले आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु उत्पाद विभाग को आदेश दिया जाता है।

22.2.23 ह0- 10.11.22

लेखापित एवं संशोधित

ह0/- 10.11

उपायुक्त,
दुमका।

ह0/- 10.11

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 11:54:56 +05:30
Location: 169.254.227.244